बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03 / 04–भू0अ0नि0(संविदा आरोप)बांका–02 / 2024...2363...पटना, दिनांकः 03/06/2024

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, बांका के पत्रांक 385 दिनांक 02.04.2024 द्वारा श्री हिमांशु शेखर, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02482) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि श्री शेखर दिनांक 11.12.2023 को एक दिन का अवकाश लेकर दिनांक 12.12.2023 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, जिसके संबंध में शिविर प्रभारी के पत्रांक 308 दिनांक 22.12.2023 द्वारा इनसे पूछे गए स्पष्टीकरण के प्रतिउत्तर में मानसिक तनावों के कारण स्वस्थ्य नहीं रहने एवं कार्य करने की स्थिति में नहीं रहने का जबाब दिया गया है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि पुनः बंदोबस्त कार्यालय के पत्रांक 21 दिनांक 03.01.2024 द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर इनके द्वारा नहीं दिया गया है और न ही कार्य क्षेत्र में आने की सूचना दी गयी है। फलस्वरूप संविदा शर्त्तो के अनुरूप कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 1810 दिनांक 13.04.2024 द्वारा श्री शेखर से 03 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संविदा नियोजन समाप्ति संबंधी एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि के बाद भी समर्पित नहीं किया गया है, जो वरीय पदाधिकारी के निदेश की अवहेलना का द्योतक है।

स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं संलग्न साक्ष्यों तथा संचिका में रक्षित ऑनलाईन उपस्थिति विवरणी का अवलोकन किया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रेषित साक्ष्यों के अवलोकनोपरांत पाता हूँ कि शिविर प्रभारी के स्तर पर इनसे पूछे गये स्पष्टीकरण के प्रतिउत्तर में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण कार्य करने की स्थिति में नहीं रहने का उल्लेख किया गया है, परन्तु स्पष्टीकरण में इनके द्वारा अपने चिकित्सा से संबंधी कोई भी साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। पुनः बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा किए गए स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर भी इनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया है। साथ ही निदेशालय स्तर पर पूछे स्पष्टीकरण का जबाब भी इनके द्वारा नहीं दिया गया है और न ही कार्य पर लौटने की कोई सूचना दी जा रही है। ऑनलाईन उपस्थिति विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री शेखर वर्ष 2024 के माह मई तक मात्र 04 दिन ही उपस्थित हुए हैं। इस तरह का कृत इनके मनमानेपन, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से ही विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन किया गया है। इस उद्देश्य से सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी भी अवगत हैं। ऐसे में श्री शेखर का इतनी लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने के कारण सर्वेक्षण कार्य बाधित / विलंब हुआ है। साथ ही वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निदेश की अवहेलना भी इनके द्वारा बार–बार की जा रही है। यदि ऐसे कर्मियो का संविदा नियोजन बनाए रखा जाता है, तो इसका कुप्रभाव अन्य संविदा कर्मियों भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

क्र० पृ० 2 पर

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 के नियम 8(4) में वर्णित प्रावधान के तहत श्री हिमांशु शेखर, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02482) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 3/6/24
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/04–भू0अ0नि0(संविदा आरोप)बांका–02/2024 2363 **पटना, दिनांक** :– 03/06/2024

प्रतिलिपि :– श्री हिमांशु शेखर, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02482), बंदोबस्त कार्यालय, बांका को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/04–भू0अ0नि0(संविदा आरोप)बांका–02/2024 2363 **पटना, दिनांक** :– 03/06/2024

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/04–भू0अ0नि0(संविदा आरोप)बांका–02/2024 2363 **पटना, दिनांक** :– 03/06/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत इनकी व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप 3/6/24